

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
श्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 18 मई, 2021

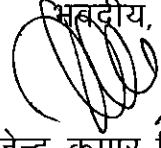
विषय:- पंजीकृत श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा रू0 1000/- प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पंजीकृत श्रमिकों, अन्य श्रमिकों, सभी पटरी, रेहड़ी दुकानदारों, रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों, नाविकों, कुली, पल्लेदारों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को रुपये 1000/-प्रति माह का भरण-पोषण भत्ता फिलहाल एक माह के लिए दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

2. वर्ष 2020-21 में श्रम विभाग में पंजीकृत 20.37 लाख निर्माण श्रमिक जिनमें से 5.97 लाख श्रमिक, जिनके बैंक खाते श्रम विभाग के पास उपलब्ध थे, के खाते में 1000 रुपये प्रतिमाह डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित करने के निर्देश पारित किये गये थे तथा अवशेष श्रमिकों के बैंक खातों का डेटाबेस श्रम विभाग को तैयार करने एवं इन अवशेष श्रमिकों को भी 1000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त का वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा Labour Cess Fund से किया गया था। गत वर्ष की भांति वर्ष 2021-22 में भी पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते में रू0 1000/- डी0बी0टी के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा।

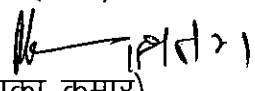
3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्णय के अनुपालन में समस्त पंजीकृत श्रमिकों को उनके बैंक खाते में रु0 1000/-डी0बी0टी के माध्यम से हस्तांतरित किये जाने एवं जिन श्रमिकों का पंजीकरण नहीं है, उन्हें भी पंजीकृत कर उनके बैंक खाते में रु0 1000/-डी0बी0टी के माध्यम से अन्तरित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

सख्या- 346(1)/एक-11-2021 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
9. गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।